मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1982

(दिनांक 27 मार्च, 1982 को राज्यपाल की अनुाति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र 'असाधारण' में दिनांक 27 मार्च, 1982 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।)

मध्यप्रदेश राज्य में के अधिवक्ताओं को सामजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए विभिन्न स्कीमों को चलाने हेतु एक कल्याण निधि के गठन और उससे संशक्त या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो–

अध्याय 1 प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार–

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1982 हैं।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य पर हैं ।

2. परिभाषाऐं–

इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''अधिवक्ता'' से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम मध्यप्रदेश विधिज्ञ परिषद (मध्यप्रदेश बार काउसिन्ल) द्वारा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का सं. 25) की धारा 17 के अधीन तैयार की गई तथा रखी गई राज्य अधिवक्ता नामवली (स्टेट रोल ऑफ एडवोकेट्स) मे दर्ज किया गया है और जो किसी विधिज्ञ संस्था (बार एशोसियेशन) का सदस्य हैं,

(ख) ''विधिज्ञ संस्था'' से अभिप्रेत है अधिवक्ता अधिनियम, अधिवक्ताओं की कोई ऐसी संस्था जिसे विधिज्ञ द्वारा धारा 16 के अधीन मान्यता प्रदान की गई हैं,

(ग) '' विधिज्ञ परिषद्'' से अभिप्रेत है अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का सं. 25) की धारा 3 के अधीन गठित मध्यप्रदेश विधिज्ञ परिषद ,

(घ) ''व्यवसाय के बन्द हो जाने'' से अभिप्रेत है किसी अधिवक्ता के व्यवसाय का यथास्थिति उसकी निवृत्ति के कारण,उसकी मृत्यु हो जाने के कारण या किसी अन्य कारण से स्थाई रूप से रूक जाना या बन्द हो जाना, जिसकी कि सूचना विधिज्ञ परिषद् को सम्यक् रूप से दे दी गई हो, और विधिज्ञ परिषद् द्वारा रखी गई राज्य अधिवक्ता नामवली में से किसी अधिवक्ता के नाम का हटा दिया जाना भी उसके अंतर्गत आता हैं,

(ड) ''आश्रित'' से अभिप्रेत है अधिवक्ता की पत्नी/का पति, उसका पिता उसकी माता, अवविाहित सन्तान और विधवा पुत्री जो भरण–पोषण के लिये वस्तुतः उस पर आश्रित है,

(च) ''निधि'' से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन गठित अधिवक्ता कल्याण निधि,

(छ) ''कनिष्ट अधिवक्ता'' से अभिप्रेत है कोई ऐसा अधिवक्ता जिसे विधिज्ञ परिषद् द्वारा पांच वर्ष से अनाधिक पूर्व अधिवक्ता के रूप में नामंकित किया गया था,

(ज) ''निधि का सदस्य'' से अभिप्रेत है खण्ड (क) में यथा–परिभषित कोई अधिवक्ता.

(झ) ''निवृत्ति'' से अभिप्रेत है साठ वर्ष की आयु पूरी हो जाने के पश्चात् किसी भी समय वाछ्धक्यजन्य अंगशैथिल्य के कारण अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय का स्थाई रूप से रूक जाना, जिसकी कि संसूचना विधिज्ञ परिषद् को दे दी गई हो और जो विधिन परिषद् द्वारा अभिलिखित कर ली गई हो,

(ञ) ''व्यवसाय के निलम्बन'' से अभिप्रेत है अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय का स्वेच्छता निलम्बन या अवचार के लिए विधिज्ञ परिषद् द्वारा निलम्बन,

(ट) ''न्यासी समिति'' से अभिप्रेत है धारा 4 के अधीन स्थापित समिति।

अध्याय 2

निधि का गठन
3. अधिवक्ता कल्याण निधि–

(1) उस तारीख से, जिसको कि धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन न्यासी–समिति स्थापित की जाती है, एक निधि गठित की जायेगी जो अधिवक्ता कल्याण निधि कहलायेगी।
(2) इस निधि में निम्नलिखित राशियां जमा की जायेंगी–

(क) छह लाख रूपये का अनुबन जो आरम्भतः राज्य सरकार द्वारा निधि में जमा किया जायेगा,
(ख) विधिज्ञ परिषद् द्वारा कोई संदत रकम,
(ग) भारतीय विधिज्ञ परिषद् किसी विधिज्ञ संस्था, अन्य संस्था या संस्था, किसी अधिवक्ता या किसी अन्य अधिवक्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निधि में किया गया कोई स्वेच्छिक दान या अभिदाय,
(घ) धारा 12 के अधीन उधार ली गई कोई राशि,
(ड.) धारा 18 के अधीन जमा किया गया समस्त धन,
(च) किसी अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने पर भारतीय जीवन बीमा निगम से निधि के सदस्य के सामूहिक बीमा के अधीन प्राप्त समस्त राशियां,
(छ) भारतीय जीवन बीमा निगम से निधि के सदस्यों के सामूहिक बीमा की पालसियों के सम्बन्ध में प्राप्त कोई लाभ, लाभांश या प्रतिदाय,
(ज) निधि के किसी भाग के किसी विनिधान (इन्वेस्टमेंट) पर कोई ब्याज या लाभांश या अन्य प्रत्यागम,
(झ) न्यासी समिति द्वारा प्राप्त कोई अन्य रकम।
(3) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट राशियों का संदाय ऐसे अभिकरणों को, या उनका संग्रहण ऐसे अभिकरणों द्वारा ऐसी से तथा ऐसी रीति में किया जायेगा और निधि के लेखे ऐसे प्ररूप में रखे जायेंगे जैसा कि विहित किया जाय।

अध्याय 3

न्यायी–समिति की स्थापना, निधि का उपयोजन और उसका प्रबन्ध आदि

4. न्यासी समिति की स्थापना–

(1) ऐसी तारीख से, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस निमित नियम करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक न्यासी–समिति स्थापित की जाएगी जो मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि समिति कहलायेगी।
(2) न्यासी–समिति पूर्वोक्त नाम से निगमित निकाय होगी, जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार होगा तथा जिसकी एक सामान्य मुद्रा होगी ओर जिसे जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा व्यायन करने की और संविदा करने की शक्ति होगी और जो उक्त नाम से वाद चलायेगी तथा जिसके विरूद्ध उक्त नाम से वाद चलाया जायेगा।
(3) न्यासी–समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्–

(क) पदेन सदस्य

(एक) भारसाधक मन्त्री, विधि	अध्यक्ष,

(दो) भारसाधक राज्य मंत्री, विधि	उपाध्यक्ष,
(तीन) अध्यक्ष, विधिज्ञ परिषद्	उपाध्यक्ष,
(चार) महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश	
(पांच) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग	सचिव,
(छह) सचिव, विधिज्ञ परिषद्	संयुक्त सचिव (जिसे मत देने का अधिकार नही होगा),
(सात) कोषाध्यक्ष, विधिज्ञ परिषद्	कोषाध्यक्ष,
(आठ) भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय मुख्य कार्यालय का महाप्रबंधक या उसका नाम–निर्देशती जो क्षेत्रीय प्रबंधक (रीजनल मैनेजर) की पद श्रेणी से पद श्रेणी का न हो.	
(नौ) भारतीय जीवन बीमा निगम, इन्दौर का मण्डल प्रबंधक (डिवीजनल मैंनेजर) या उसका नाम–निर्देशिति जो उस मण्डल प्रबंधक (डिप्टी डिवीजनल मैंनेजर) की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो,	
(दस) सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, (या उसका नामनिर्दशिती जो उप–सचिव की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो।) **(ख) नाम–निर्दिष्ट सदस्य** (ग्यारह) विधिज्ञ परिषद् द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जाने वाले दो सदस्य,	
(बारह) राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जाने वाले दो सदस्य, जिनमें से एक इस राज्य का संसद सदस्य होगा और दूसरा राज्य विधान सभा का सदस्य होगा।	

(4) कोई नाम–निर्दिष्ट सदस्य उसे नाम–निर्दिष्ट करने वाले प्राधिकारी के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा किन्तु उसकी पदावधि उसके नाम–निर्देशन की तारीख से पांच वर्ष से अधिक की नहीं होगी।
(5) जब कभी किसी व्यक्ति के, उसके द्वारा धारित पद या ओहदे के आधार पर न्यासी समिति के सदस्य के रूप में नाम–निर्दिष्ट या नियुक्त किया जाता है तो जैसे ही वह ऐसा पद या ओहदा धारण करने से प्रविरत हो जाता है, वह न्यासी समिति का सदस्य नही रह जायेगा।

5.न्यासी समिति का सदस्य होने के लिए निरर्हता–

कोई व्यक्ति न्यासी समिति के सदस्य के रूप में नाम–निर्दिष्ट या नियुक्त किये जाने, और उसका सदस्य होने के लिये निर्रहित होगा यदि वह–
(क) विकृत चित का हो जाता है, या
(ख) दिवालिया न्याय निर्णित कर दिया जाता है, या
(ग) न्यासी समिति की इजाजत के बिना न्यासी समिति के तीन से अधिक क्रमवती सम्मिलनों में अनुपस्थित रहता है, या
(घ) निधि के सम्बन्ध में (निधि का सदस्य होने की दशा में) व्यतिक्रमी है या उसने न्यास भंग किया है, या
(ड.) किसी दण्ड न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध का, जिसमें नैतिक अक्षमता अन्तर्बलित है, या किसी अर्थिक अपराध का सिद्धदोष ठहराया जाता है, जब तक कि ऐसी दोषसिद्धी अपास्त न कर दी गई हो।

6. न्यासी समिति के नाम–निर्दिष्ट सदस्यों द्वारा त्याग–पत्र–

कोई नाम–निर्दिष्ट सदस्य न्यासी–समिति के अध्यक्ष को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा, और ऐसी लिखित सूचना जैसे ही इस प्रकार निविदत्त कर दी जाती है कि वह निविदत करने वाले की पहुंच या नियंत्रण के बाहर हो जाय, उसके बारे में यह समझा जायेगा कि वह अस्वीकार कर दी गई हैं।

7. आकस्मिक रिक्ति का भरा जाता–

किसी सदस्य के पद में की आकस्मिक रिक्ति यथासम्भव शीघ्र भरी जायेगी और ऐसी रिक्ति को भरने के लिये इस प्रकार नाम–निर्दिष्ट किया गया सदस्य, उस सदस्य की पदावधि के अनवासित भाग के लिये पद धारण करेगा जिसके कि स्थान की वह पूर्ति करता हैं।

8. न्यासी समिति का कार्य रिक्ति, त्रुटि आदि के कारण अविधिमान्य नही होगा–

न्यासी समिति द्वारा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किया गया कोई भी कार्य या की गई कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नही होगी कि–

(क) न्यासी–समिति में कोई रिक्त हो या उसके गठन में कोई त्रुटि है,या
(ख) न्यासी–समिति के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के नाम–निर्देशन में कोई त्रुटि अनियिमतता है, या
(ग) ऐसे किसी कार्य या कार्यवाही मे कोई ऐसी त्रुटि या अनियमितता है जो मामले के गुणागुण प्रभाव नही डालती हैं।

9. निधि का निहित होना और उसका उपयोजन–

(1) न्यासी–समिति मे निहित हागी और वह उसके द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये तथा इस अधिनियम के प्रयोजनो के लिये, धारित और उपयोजित की जायेगी।
(2) न्यायी समिति निधि का प्रशासन सचिव की मार्फत करेगी।

10. न्यासी समिति के सम्मिलन–

(1) न्यासी समिति तीन कलेण्डर मास में कम से कम एक बार या यदिइस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन कामकाज के सम्पादन के लिये आवश्यक हो तो इससे अधिक बार अपना सम्मिलन करेगी।
(2) न्यासी समिति के सम्मिलन के लिये गणपूर्ति न्यासी समिति के पांच सदस्यों से होगी।
(3) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में, कोई एक उपाध्यक्ष, न्यासी समिति के सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा।
(4) न्यासी समिति के सम्मिलन के समक्ष आने वाला कोई विषये, सम्मिलन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किया जायेगा और, मतों के बराबर–बराबर होने की दशा में, सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

11. न्यासी समिति के सदस्यों को यात्रा तथा दैनिक भत्ता–

(1) न्यासी समिति के अशासकीय सदस्य ऐसा यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र होगे जैसा कि विहित किया जाय।
(2) शासकीय सदस्य अपना ऐसा यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करेगे जो राज्य सरकार मे के उनके ओहदे के आधार पर उन्हे अनुज्ञेय हो।
(3) सदस्यों को इस प्रकार देय यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते का संदाय निधि में से किया जायेगा।

12. निधियां, उधार ओर विनिधान–

(1) न्यासी–समिति समय पर, कोई ऐसी राशि उधार ले सकेगी जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्याविन्त करने के लिये अपेक्षित हो।
(2) न्यासी समिति व समस्त धन और प्रप्तियां, जो निधि की भाग रूप हो, किसी अनुसूचित बैंक मे जमा करेगा या उनका विनिधान केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन आने वाले किसी निगम को उधार देने में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधारों में या किसी अन्य रीति में करेगी।
(3) इस अधिनियम के अधीन शोध्य तथा देय समस्त रकमें और निधि के प्रबन्ध तथा प्रशासन से सम्बन्धित समस्त व्यय निधि में से चुकाये जायेंगें।
(4) न्यासी समिति के लेखाओं की संपरीक्षा, उसके द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रतिवर्ष की जायेगी।
(5) जैसे ही न्यासी समिति के लेखाओं की संपरीक्षा हो जाती है, न्यासी समिति उनकी एक प्रति उनके सम्बन्ध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की रिर्पोट की एक प्रति के साथ, राज्य सरकार को भेजेगी।
(6) न्यासी समिति ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगी जैसे कि राज्य सरकार, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की संपरीक्षा रिर्पोट का परिशीलन करने के पश्चात् देना उचित समझे।

13. सचिव की शक्तियां और कर्तव्य–

न्यासी समिति का सचिव–
(क) न्यासी समिति का मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी होगा और उसेक विनिश्चिय को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा,
(ख) न्यासी समिति की और से तथा उसके विरूद्ध समस्त वादों और कार्यवाहियां में न्यासी समिति का प्रतिनिधित्व करेगा,
(ग) न्यासी समिति के समस्त विनिश्चयों और अनुदेशों को अपने हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित करेगा,
(घ) न्यासी समिति के बैंक खातों को कोषाध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से चलाएगा,
(ड.) न्यासी समिति के सम्मिलन बुलायेगा और उनके कार्यवृत्त तैयार करेगा,
(च) न्यासी समिति के सम्मिलनों में सभी आवश्यक अभिलेखों और जानकारी के साथ हाजिर होगा,
(छ) ऐसे प्ररूप, रजिस्टर और अन्य अभिलेख रखेगा जैसे कि समय–समय पर विहित किये जाऐ, और न्यासी समिति से सम्बधित
समस्त पत्र व्यवहार करेगा,
(ज) न्यासी समिति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान सम्पादित किये गये कामकाज का वार्षिक विवरण तैयार करेगा, और
(झ) न्यासी समिति की और से ऐस अन्य कार्य करेगा जिसके सम्बन्ध में न्यासी समिति द्वारा या अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिया जाए।

14. कतिपय धनों का निधि को अन्तरण–

विधिज्ञ परिषद निधि में प्रतिवर्ष ऐसी रकम जमा करेगी जो विहित की जाए।

अध्याय 4
स्कीमों का बनाया जाना

5. न्यासी समिति द्वारा स्कीमों का तैयार किया जाना–

(1) न्यासी समिति निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए स्कीम तैयार कर सकेगी।

(एक) अधिवक्ताओं के सामूहिक बीमा के लिए,
(दो) ऐसी स्कीमों के सहभागी सदस्यों के रूप में नामांकित अधिवक्ताओं के

उपदान और/या निवृत्ति फायदे देने के लिए,
(तीन) कनिष्ठ अधिवक्ताओं को नाममात्र के ब्याज पर वृत्तिका (स्टाईपिण्ड) के रूप में वित्तीय सहायता, जो आसान किश्तों में प्रतिसंदेय होगी, देने के लिये या कनिष्ठ अधिवक्ताओं को किसी वित्तीय संस्था द्वारा ऐसा उधार दिये जाने को सुकर बनाने हेतु प्रत्याभूति देने के लिए;
(चार) अधिवक्ताओं के चिकित्सीय बीमा के लिये,
(पांच)अधिवक्ताओं के लिए गृह निर्माण उधार सुकर बनाने के लिऐ , और।
(छह)अधिवक्ताओं के लिए ऐसे अन्य कल्याण कार्यो या असुविधाओं के लिये जिन्हे वह उचित समझे।

(2)स्कीम राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी जो उसे प्रकाशित करेगी और उसके पश्चात् उसे विधान सभा के पटल पर दस दिन के लिये रखेगी।
(3) ऐसी प्रकाशन हो जाने पर, स्कीम के उपबन्ध इस अधिनियम के भाग बन जायेगे।

अध्याय 5

विधिज्ञ संस्था, उसका रजिस्ट्रीकरण, उसके कर्तव्य और कृत्य

16. विधिज्ञ संस्था की मान्यता और उसका रजिस्ट्रीकरण –

(1) राज्य के किसी भी भाग में कार्य कर रही अधिवक्ताओं की कोई संस्था, चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाती हो, मान्यता और रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन विधिज्ञ परिषद् को ऐसी तारीख के पूर्व जो विधिज्ञ परिषद् द्वारा इस निमित अधिसूचित की जाय, और ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे वार्षिक अभिदाय का, या ऐसी अन्य फीस का संदाय करके कर सकेगी जैसा कि विधिज्ञ परिषद् समय–समय पर अवधारित करे।

(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ उस संस्था के नियम या उपविधियों होगी, उस संस्था के पेदाधिकारियों (आफिस वियररर्स) के नाम और पते होगे तथा उस संस्था के सदस्यों की एक अद्यतन सूची होगी जिसमें प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, जन्म तारीख, आयु, नामांकन की तारीख तथा व्यवसाय का सामान्य स्थान दर्शित किया गया हो।

(3) विधिज्ञ परिषद्, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, संस्था को मान्यता दे सकेगा और रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र ऐसे प्रारूप में जारी कर सकेगी जैसे कि वह विनिर्दिष्ट करें।

(4) किसी विधिज्ञ संस्था की मान्यता तथा उसके रजिस्ट्रकरण के बारे में विधिज्ञ परिषद् का विनिश्चय अन्तिम होगा।

17. विधिज्ञ संस्थाओं के कर्तव्य–

(1) प्रत्येक विधिज्ञ संस्था, प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को या उसके पूर्व अपने सदस्यों की सूची, जैसी कि वह उस वर्ष 31 मार्च को रही हो, विधिज्ञ परिषद् को प्रज्ञापित करेगी।
(2) प्रत्येक विधिज्ञ संस्था विधिज्ञ परिषद् को,–

(क) संस्था के पदाधिकारियों में हुये किसी परिवर्तन की सूचना, ऐसे परिवर्तन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर देगी,
(ख) सदस्यता में हुये किसी परिवर्तन की, जिसके अन्तर्गत प्रवेश तथा पुनप्रर्वेश भी

आता है, सूचना, ऐसे परिवर्तन की तारीख से तीस दिन के भीतर देगी.
(ग) अपने सदस्यों में से किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने, उसके निवृत्त हो जाने या उसके व्यवसाय के बन्द हो जाने या उसके
व्यवसाय के निलम्बन की सूचना, उस घटना के घटित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर, या उसकी सूचना प्राप्त होने पर, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, देगी, और
(घ) ऐसी अन्य बातों की सूचना देगी जो विधिज्ञ परिषद् द्वारा समय–समय पर अपेक्षित की जाएं।

अध्याय 6
स्टाम्प और उनका वितरण

17–क. परिभाषायें–इस अध्याय में–

(क)'न्यायालय'' से अभिप्रेत है उच्च न्यायालय या कोई सिविल न्यायालय, राजस्व न्यायालय, दंड़ न्यायालय, श्रम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय, अथवा न्यायिक या न्यायिक कल्प (क्वासी ज्युडिशियल) प्रकृति की कार्यवाहियों में कार्य करने वाला कोई अधिकरण या प्राधिकरण, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हों;
(ख)'उपसंजति ज्ञापन'' के अन्तर्गत आता है वकालत नामा तथा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का संख्यांक 5) की पहली अनुसूची के आदेश 3 के अधीन कोई अन्य प्राधिकरण (अथाराईजेशन), चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो किसी न्यायालय के समक्ष कार्य करने या अभिवचन करने के लिये हो।

18. मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्पों का मुद्रण–

राज्य सरकार, मध्यप्रदेश विधिज्ञ परिषद् द्वारा की गई अध्यपेक्ष पर, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जैसा कि विधिज्ञ परिषद् के परामर्श से विहित किया जाए, एक रूपये और चार रूपये के मूल्य के आसंजक स्टाम्प, जिन पर शब्द ''मध्यप्रदेश'' अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्प अंकित होगें, मुद्रित करेगी या मुद्रित करवाएगी और उनका विवरण और विक्रय हेतु विधिज्ञ परिषद् को प्राप्त 10 प्रतिशत कमीशन के आधार पर किया जायेगा।

19. (1) उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय में फाइल किए गए उपसंजाति ज्ञापन पर दो रूपए मूल्य का मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्प होगा,
(2) उच्च न्यायालय में फाइल किए गए उपसंजाति ज्ञापन पर पांच रूपऐ मूल्य का मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्प होगा
(3) अधिवक्ताओं का यह कर्तव्य होगा कि वे उपसंजाति ज्ञापन पर उपधारा (1) तथा (2) के अधीन स्टाम्प लगाएं और कोई भी न्यायालय, जिसमे उच्च न्यायालय भी सम्मिलित है, ऐसा उपसंजाति ज्ञापन तब तक स्वीकार नही करेगा जब तक कि उस पर समुचित मूल्य का अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्प न लगाया गया हो.।''

20. स्टाम्पों का रद्धकरण–

उपसंजाति के ज्ञापन पर इस प्रकार लगाया गया स्टाम्प उस रीति में रद्ध किया जायेगा जो न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का सं. 7) में न्यायालय फीस स्टाम्पों में रद्धकरण के लिये उपबंधित है।

21. अधिवक्ता कल्याण निधि के लिये अभिदाय–

मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्पों के विवरण तथा विक्रय से प्राप्त शुद्ध आगम का अभिदाय विधिज्ञ परिषद् द्वारा मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि के लिये किया जायेगा।

22. स्टाम्प या मूल्य मुवक्किलों से नहीं लिया जायेगा–

कोई भी अधिवक्ता मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्प का मूल्य किसी मुवक्किल से नही लेगा और उसके किसी भी उल्लंघन को अवचार समझा जायेगा।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

23. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण–

(1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किये जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरूद्ध ही होगी।

(2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अनुसरण में सद्भाव पूर्वक की गई या किये जाने के लिये आशयित किसी बात के द्वारा हुये या संभाव्यतः होने वाले किसी नुकसान के लिये कोई बाद या अन्य विधिक कार्यवाही न्यायी समिति या विधिज्ञ परिषद् के विरूद्ध नही होगी।

24. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्णन–

किसी भी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे प्रश्न की निपटाने, विनिश्चित करने या उसके सम्बन्ध मे कार्यवाही करने की या किसी ऐसे विषय को अवधारित करने की अधिकारिता नही होगी जिसके कि सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन वह अपेक्षित है कि उसे न्यासी समिति या विधिज्ञ परिषद् द्वारा निपटाया जाय, विनिश्चित किया जाय अवधारित किया जाय या उसके सम्बन्ध में कार्यवाही न्यासी समिति या विधिज्ञ परिषद् द्वारा की जाये।

25. नियम बनाने की शक्ति–

(1) न्यासी समिति अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी;परन्तु न्यासी समिति द्वारा बनाए गये नियमों का अनुमोदन करने के पूर्व, राज्य सरकार विधिज्ञ परिषद् से परामर्श करेगी ।
(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधानसभा के पटल पर रखे जायेगें।

26. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का लागू होना वर्जित नही होगा–

इस अधिनियम के उपबन्ध अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का सं. 25) के उपबन्धों के पूरक होगें न कि उसके अत्यीकारक।

27. निरसन–

मध्य प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अध्यादेश. 1981 (क्रं. 14 सन् 1981) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता हैं।